

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, बी विंग, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

संचिका सं. C/COM/R/2017/01230

दिनांक. 06.10.2017

सेवा में,

श्रीमती मेमदेवी शर्मा,

विषय- आयोग में प्राप्त आपके आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में सूचना ।
महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 27.09.2017 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 04.10.2017 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायरेक्ट हुआ (डायरी सं. 169342) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 05.10.2017 को प्राप्त हुआ, के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि आपने अपने आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप अन्य विभागों द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से व्यथित हैं । इस संबंध में उल्लेख किया जाता है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है । यदि किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के सम्पर्क प्रथम अपील दाखिल करें । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील पत्र के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है । सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग को संबोधित पत्र के माध्यम से स्पष्ट कारण बताते हुए शिकायत दर्ज की जा सकती है । शिकायत पत्र के साथ भी लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

अशोक कुमार शर्मा

(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,